न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 52/2025 निर्णय दिनांकः 19.03.2026

ऑनलाईन नम्बर 2025/103

गोविन्दराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. खींयाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
3. नौरंगराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
4. रामकरण पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह हैं कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 6.1200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 146 तादादी 6.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 4.5600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 148 तादादी 3.9700 हैक्टेयर वाकेरोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा भूमि हैं व प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 6.6300 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा भूमि हैं व प्रार्थी की अकेली की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 710/89 तादादी 1.3700 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 714/187 तादादी 3.600 हैक्टेयर रोही मौजा पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । उक्त खसरान की भूमि का जब विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 6.1200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 146 तादादी 6.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 4.5600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 148 तादादी 3.9700 हैक्टेयर वाकेरोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी का नाम गोमदराम अंकित कर दिया जो सही नही है, क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गोमदराम अंकित कर दिया गया, जो गलत है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। जबकि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 6.6300 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा भूमि हैं व प्रार्थी की अकेली की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 710/89 तादादी 1.3700 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 714/187 तादादी 3.600 हैक्टेयर रोही मौजा पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम अंकित है तथा इसी प्रकार प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार जनआधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम अंकित हैं । प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनवाने के लिए ऑन—लाईन दस्तावेजात प्राप्त किये है, तो प्रार्थी को इस बारे में जानकारी हुई। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी द्वारा अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 145 146, 147, 148 कुल तादादी 20.7600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी का नाम गोमदराम अंकित हो गया था, क्योंकि प्रार्थी को अपने घर व गांव में गोमदराम व गोविन्दराम दोनों ही नामो से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हैं । इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से गोमदराम अंकित हो गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम अंकित होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर ऋण बढ़वाने व सरकारी सहायता आदि लेनें में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उपरोक्त खसरान की भूमि के सहखातेदार होने उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को पक्षकार संयोजित किया गया, जिनसे अलग से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया हैं । प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड व परिचय पत्र व पैन कार्ड व प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 6.6300 हैक्टेयर रोही सालासर व खेत खसरा नम्बर 710/89 व 714/187 कुल तादादी 4.9700 हैक्टेयर रोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम अंकित हैं। जबकि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 145, 146, 147, 148 कुल तादादी 20.7600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में विरास्तन इंतकाल करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम गोमदराम अंकित कर दिया तथा हल्का पटवारी ने इंतकाल से जमाबंदी में सहबन से प्रार्थी का नाम रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 145,146,147,148 की जमाबंदी में गोमदराम अंकित कर दिया । रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम के स्थान पर गोविन्दराम अंकित करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। क्योंकि जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियां हो रही है। यह एक लिपिकीय भूल है, जो कि सुधारी जा सकती हैं तथा इस भूल का सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी ने दिनांक 25.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया वो रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 145, 146, 147, 148 कुल तादादी 20.7600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी का नाम गोमदराम के स्थान पर गोविन्दराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से कहा कि न्यायालय आदेश लेकर आवों । इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया हैं । इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं । वर्णित खसरा भूमि रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं, इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है । प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है । प्रार्थना पत्र हर तरह से पूर्ण कोर्ट फीस पर श्रीमन्‌ाजी के समक्ष प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 6.1200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 146 तादादी 6.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 4.5600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 148 तादादी 3.9700 हैक्टेयर वाकेरोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी का नाम गोमदराम के स्थान पर गोविन्दराम अंकित करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का नाम डिलिट किये जाने का आदेश दिया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 6.1200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 146 तादादी 6.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 4.5600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 148 तादादी 3.9700 हैक्टेयर वाकेरोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम 'गोमदराम' के स्थान पर 'गोविन्दराम' दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested